रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012023-243265
CG-DL-E-27012023-243265

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 27, 2023/माघ 7, 1944
No. 51]	NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 27, 2023/MAGHA 7, 1944

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 52(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसान विकास पत्र योजना, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम किसान विकास पत्र (संशोधन) योजना, 2023 है ।

(2) यह 1 जनवरी, 2023 से प्रवृत्त समझी जाएगी ।

2. किसान विकास पत्र योजना, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त योजना कहा गया है) के पैरा 5 में,-

(क) उप पैरा (1ख) में "1 अक्टूबर, 2022 को अथवा उसके पश्चात्" शब्दों और अंकों के स्थान पर "1 अक्टूबर, 2022 और 31 दिसंबर, 2022 के बीच (जिसमें ये दोनों तारीखें भी शामिल हैं)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) उप पैरा (1ग) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1घ) 1 जनवरी, 2023 को या उसके पश्चात् खोले गए किसी खाते की परिपक्वता अवधि दस वर्ष की होगी और खाते में की गई जमा परिपक्वता पर दोगुनी हो जाएगी ।"।

3. उक्त योजना के पैरा 6 में, उप पैरा (3) में,--

(क) सारणी 3 में, "1 अक्टूबर, 2022 को अथवा उसके पश्चात्" शब्दों और अंकों के स्थान पर "1 अक्तूबर, 2022 और 31 दिसंबर, 2022 के बीच (जिसमें ये दोनों तारीखें भी शामिल हैं)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) सारणी 3 के पश्चात् निम्नलिखित सारणी अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"सारणी-4

[01 जनवरी, 2023 को या उसके पश्चात् 1000 रु. से खोले गए खाते की परिपक्वता-पूर्व बंद करने के मूल्य दर्शाने वाली सारणी]

प्रमाणपत्र की तारीख से इसके नकदीकरण की तारीख तक की अवधि	ब्याज सहित भुगतान की जाने वाली राशि (रु.)
(1)	(2)
ढाई वर्ष परंतु तीन वर्ष से कम	1162
तीन वर्ष परंतु साढे तीन वर्ष से कम	1198
साढ़े तीन वर्ष परंतु चार वर्ष से कम	1234
चार वर्ष परंतु साढ़े चार वर्ष से कम	1272
साढ़े चार वर्ष परंतु पांच वर्ष से कम	1311
पांच वर्ष परंतु साढ़े पांच वर्ष से कम	1351
साढ़े पांच वर्ष परंतु छह वर्ष से कम	1392
छह वर्ष परंतु साढ़े छह वर्ष से कम	1435
साढ़े छह वर्ष परंतु सात वर्ष से कम	1478
सात वर्ष परंतु सात वर्ष से कम	1524
साढ़े सात वर्ष परंतु आठ वर्ष से कम	1570
आठ वर्ष परंतु साढ़े आठ वर्ष से कम	1618
साढ़े आठ वर्ष परंतु नौ वर्ष से कम	1667
नौ वर्ष परंतु साढ़े नौ वर्ष से कम	1718
साढ़े नौ वर्ष परंतु प्रमाणपत्र की परिवक्वता से पहले	1771
प्रमाणपत्र की परिवक्वता पर	2000"

[फा. सं. 1/04/2016-एनएस]

आशीष वच्छानी, अपर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन —राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) (संशोधन) योजना, 2023 अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगी तथापि, किसी व्यक्ति व्यक्ति पर इस संशोधित योजना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने के परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा ।

टिप्पण – मूल योजना संख्यांक सा.का.नि. 920(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् संख्यांक सा.का.नि. 283(अ), तारीख 5 मई, 2020 और सा.का.नि. 837(अ), तारीख 22 नवंबर, 2022 द्वारा संशोधित की गई थी ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2023

G.S.R. 52(E).—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Kisan Vikas Patra Scheme, 2019, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) This Scheme may be called the Kisan Vikas Patra (Amendment) Scheme, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2023.

2. In the Kisan Vikas Patra Scheme, 2019 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 5, -

(a) in sub-paragraph (1B), for the words and figures, "on or after the 1st day of October, 2022", the words, figures and brackets "between 1st October, 2022 and 31st December, 2022 (both days inclusive)" shall be substituted;

(b) after sub-paragraph (1C), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(1D) The maturity period of an account opened on or after the 1st day of January, 2023 shall be ten years and the deposits made in the account shall double on maturity.".

3. In the said Scheme, in paragraph 6, in sub-paragraph (3),-

(a) in TABLE-3, for the words and figures, "on or after the 1st day of October", the words, figures and brackets "between 1st October, 2022 and 31st December, 2022 (both days inclusive)" shall be substituted;

(b) after TABLE-3, the following TABLE shall be inserted, namely:-

"TABLE-4

[Table showing premature closure value of account opened on or after 1st day of January, 2023 with 1000 rupees]

Period from the date of the certificate to the date of its encashment	Amount payable inclusive of interest (Rupees)
(1)	(2)
Two and half years but less than three years	1162
Three years but less than three and half years	1198
Three and half years but less than four years	1234
Four years but less than four and half years	1272
Four and half years but less than five years	1311
Five years but less than five and half years	1351
Five and half years but less than six years	1392
Six years but less than six and half years	1435
Six and half years but less than seven years	1478
Seven years but less than seven and half years	1524
Seven and half years but less than eight years	1570
Eight years but less than eight and half years	1618
Eight and half years but less than nine years	1667
Nine years but less than nine and half years	1718
Nine and half years but before Maturity of Certificate	1771
On maturity of certificate	2000"

[F. No. 1/04/2016-NS]

ASHISH VACHHANI, Addl. Secy.

Explanatory Memorandum. - The Kisan Vikas Patra (Amendment) Scheme, 2023 takes effect from the date as specified in the notification. However, no one shall be adversely affected as a result of retrospective effect being given to this amendment Scheme.

Note : The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 920(E), dated the 12th December, 2019 and subsequently amended vide number G.S.R 283(E), dated the 5th May, 2020 and G.S.R. 837(E), dated the 22nd November, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 53(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना (संशोधन) योजना, 2023 है ।

(2) यह 1 जनवरी, 2023 से प्रवृत्त समझी जाएगी ।

2. राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त योजना कहा गया है) के पैरा 7 में,-

(क) उप पैरा (1ख) में “1 अक्टूबर, 2022 को अथवा उसके पश्चात्” शब्दों और अंकों के स्थान पर “1 अक्तूबर, 2022 और 31 दिसंबर, 2022 के बीच (जिसमें ये दोनों तारीखें भी शामिल हैं)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) उप पैरा (1ख) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा और सारणी अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(1ग) नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट ब्याज की दर योजना के अधीन 1 जनवरी, 2023 को या उसके पश्चात् की गई जमा पर लागू होगी ।

सारणी

क्रम सं.	खाते का प्रवर्ग	ब्याज की दर (प्रति वर्ष, प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)
1.	एक वर्ष	6.6
2.	दो वर्ष	6.8
3.	तीन वर्ष	6.9
4.	पांच वर्ष	7.0” ।

[फा. सं. 1/04/2016-एनएस]

आशीष वच्छानी, अपर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन — राष्ट्रीय बचत सावधि जमा (संशोधन) योजना, 2023 अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगी तथापि, किसी भी व्यक्ति पर इस संशोधित योजना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने के परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा ।

टिप्पण – मूल योजना संख्यांक सा.का.नि. 922(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् संख्यांक सा.का.नि. 289(अ), तारीख 5 मई, 2020 और सा.का.नि. 838(अ), तारीख 22 नवंबर, 2022 द्वारा संशोधित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2023

G.S.R. 53(E).—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the National Savings Time Deposit Scheme, 2019, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) This Scheme may be called the National Savings Time Deposit (Amendment) Scheme, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2023.

2. In the National Savings Time Deposit Scheme, 2019 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 7,-

(a) in sub-paragraph 1(B), for the words and figures, "on or after the 1st day of October, 2022", the words, figures and brackets "between 1st October, 2022 and 31st December, 2022 (both days inclusive)" shall be substituted;

(b) after sub-paragraph 1(B), the following sub-paragraph and Table shall be inserted, namely:-

"1(C) The rate of interest as specified in the Table below shall be applicable to the deposit made on or after 1st day of January, 2023 under the Scheme.

TABLE

S. No.	**Category of account**	**Rate of interest (per cent. per annum)**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	One-year	6.6
2.	Two-years	6.8
3.	Three-years	6.9
4.	Five-years	7.0".

[F. No. 1/04/2016-NS]

ASHISH VACHHANI, Addl. Secy.

Explanatory Memorandum.- The National Savings Time Deposit (Amendment) Scheme, 2023 takes effect from the date as specified in the notification. However, no one shall be adversely affected as a result of retrospective effect being given to this amendment Scheme.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 922(E), dated the 12th December, 2019 and subsequently amended vide number G.S.R. 289(E), dated the 5th May, 2020 and G.S.R. 838(E), dated the 22nd November, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 54(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम) योजना, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम) (संशोधन) योजना, 2023 है ।

(2) यह 1 जनवरी, 2023 से प्रवृत्त समझी जाएगी ।

2. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम) योजना, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त योजना कहा गया है) के पैरा 5 में,-

(क) उप पैरा (2क) में "1 अप्रैल, 2020 को अथवा उसके पश्चात्" शब्दों और अंकों के स्थान पर "1 अप्रैल, 2020 से 31 दिसंबर, 2022 के बीच (जिसमें ये दोनों तारीखें भी शामिल हैं)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) उप पैरा (2क) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2ख) 1 जनवरी, 2023 को या उसके पश्चात् एक हजार रु. से खोले गए खाते का परिपक्वता मूल्य एक हजार चार सौ दो रु. होगा और पैरा 4 के उप पैरा (1) के अनुसार अन्य किसी राशि से की गई जमाओं के समानुपात होगा । परिपक्वता राशि की संगणना करते हुए, रुपए के किसी भी अंश को निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजनार्थ पचास पैसे या उससे अधिक किसी भी राशि को एक रुपया माना जाएगा और पचास पैसे से कम किसी भी राशि को नजर अंदाज किया जाएगा ।";

(ग) उप पैरा (3क) की सारणी में, "1 अप्रैल, 2020 को अथवा उसके पश्चात्" शब्दों और अंकों के स्थान पर "1 अप्रैल, 2020 से 31 दिसंबर, 2022 के बीच (जिसमें ये दोनों तारीखें भी शामिल हैं)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(घ) उप पैरा (3) में सारणी-2 के पश्चात् निम्नलिखित सारणी अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"सारणी-3

[1 जनवरी, 2023 को या उसके पश्चात् क्रय किए गए प्रमाणपत्रों के लिए]

वर्ष जिसके लिए ब्याज प्रोद्भूत किया जाता है	1000 रु. मूल्य वर्ग के प्रमाणपत्र पर प्रोद्भूत ब्याज राशि
पहला वर्ष	70.00
दूसरा वर्ष	74.90
तीसरा वर्ष	80.14
चौथा वर्ष	85.75
पांचवा वर्ष	91.76

टिप्पण : अन्य किसी मूल्य वर्ग के प्रमाणपत्र पर प्रोद्भूत ब्याज की राशि उपर्युक्त सारणियों में समानुपाती होगी ।"।

3. उक्त योजना के पैरा 7 में उप पैरा (4) में,-

(क) सारणी-2 में "1 अप्रैल, 2020 को अथवा उसके पश्चात्" शब्दों और अंकों के स्थान पर "1 अप्रैल, 2020 से 31 दिसंबर, 2022 के बीच (जिसमें ये दोनों तारीखें भी शामिल हैं)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) सारणी-2 के पश्चात् निम्नलिखित सारणी अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

सारणी-3

[1 जनवरी, 2023 को या उसके पश्चात् 1000 रुपए से खोले गए खाते को परिपक्वता पूर्व बंद करने के मूल्य को दर्शाने वाली सारणी]

खाते की तारीख से इसके परिपक्वता पूर्व बंद होने की तारीख की अवधि	ब्याज सहित देय राशि (रुपए)
(1)	(2)
तीन वर्ष या उससे अधिक, परंतु तीन वर्ष और छह मास से कम	1191.02
तीन वर्ष और छह माह या उससे अधिक, परंतु चार वर्ष से कम	1226.23
चार वर्ष या उससे अधिक, परंतु चार वर्ष और छह माह से कम	1262.48
चार वर्ष और छह माह या उससे अधिक, परंतु पांच वर्ष से कम	1299.80"।

[फा. सं. 1/04/2016-एनएस]

आशीष वच्छानी, अपर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन — राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम) (संशोधन) योजना, 2023 अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगी तथापि, किसी भी व्यक्ति पर इस संशोधित योजना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने के परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा ।

टिप्पण: मूल योजना संख्यांक सा.का.नि. 922(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् संख्यांक सा.का.नि. 284(अ), तारीख 5 मई, 2020 द्वारा संशोधित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2023

G.S.R. 54(E).— In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme to amend the National Savings Certificates (VIII Issue) Scheme, 2019, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) This Scheme may be called the National Savings Certificates (VIII Issue) (Amendment) Scheme, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2023.

2. In the National Savings Certificates (VIII Issue) Scheme, 2019 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 5,-

(a) in sub-paragraph (2A), for the words and figures, "on or after the 1st day of April, 2020", the following words, figures and brackets "between 1st April, 2020 to 31st December, 2022 (both days inclusive)" shall be substituted;

(b) after sub-paragraph (2A), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(2B) The maturity value of an account opened on or after the 1st day of January, 2023 with one thousand rupees shall be one thousand four hundred two rupees and fifty five paisa and proportionate for deposits made with any other sum as per sub-paragraph (1) of paragraph 4. In calculation of maturity value, any amount in fraction of a rupee shall be rounded off to the nearest rupee and for this purpose, any amount of fifty paisa or more shall be treated as one rupee and any amount less than fifty paisa shall be ignored.";

(c) in sub-paragraph (3), in TABLE-2, for the words and figures, "on or after 1st day of April, 2020", the words, figures and brackets "between 1st April, 2020 to 31st December, 2022 (both days inclusive)" shall be substituted;

(d) in sub-paragraph (3), after TABLE-2, the following TABLE shall be inserted, namely:-

"TABLE-3

[For the certificates purchased on or after 1st day of January, 2023]

The year for which interest accrues	Amount of interest (rupees) accruing on certificated of Rs.1000 denomination
First Year	70.00
Second Year	74.90
Third Year	80.14
Fourth Year	85.75
Fifth Year	91.76

Note: The amount of interest accruing on a certificate of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the Table above.".

3. In the said Scheme, in paragraph 7, in sub-paragraph(4), -

(a) in TABLE-2, for the words and figures, "on or after 1st day of April, 2020", the words, figures and brackets "between 1st April, 2020 and 31st December, 2022 (both days inclusive)" shall be substituted;

(b) after TABLE-2, the following TABLE shall be inserted, namely:-

“TABLE-3

[Table showing premature closure value of account opened on or after the 1st day of January, 2023 with 1000 rupees]

Period from the date of the account to the date of its pre-mature closure	Amount payable inclusive of interest (rupees)
(1)	(2)
Three years or more, but less than three years and six months	1191.02
Three years and six months or more, but less than four years	1226.23
Four years or more, but less than four years and six months	1262.48
Four years and six months or more, but less than five years	1299.80”.

[F. No. 1/04/2016-NS]

ASHISH VACHHANI, Addl. Secy.

Explanatory Memorandum.- The National Savings Certificates (VIII Issue) (Amendment) Scheme, 2023 takes effect from the date as specified in the notification. However, no one shall be adversely affected as a result of retrospective effect being given to this amendment Scheme.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 922(E), dated the 12th December, 2019 and subsequently amended vide number G.S.R. 284(E), dated the 5th May, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 55(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) योजना, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) (संशोधन) योजना, 2023 है ।

(2) यह 1 जनवरी, 2023 से प्रवृत्त समझी जाएगी ।

2. राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) योजना, 2019 के पैरा 5 में,-

(क) उप पैरा (1ख) में “1 अक्टूबर, 2022 को अथवा उसके पश्चात्” शब्दों और अंकों के स्थान पर “1 अक्टूबर, 2022 और 31 दिसंबर, 2022 के बीच (जिसमें ये दोनों तारीखें भी शामिल हैं)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) उप पैरा (1ख) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1ग) 1 जनवरी, 2023 को या उसके पश्चात् इस योजना के अधीन की गई जमा पर प्रति वर्ष 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा ।”।

[फा. सं. 1/04/2016-एनएस]

आशीष वच्छानी, अपर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन — राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) (संशोधन) योजना, 2023 अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगी तथापि, किसी भी व्यक्ति पर इस संशोधित योजना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने के परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा ।

टिप्पण – मूल योजना संख्यांक सा.का.नि. 917(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् संख्यांक सा.का.नि. 286(अ), तारीख 5 मई, 2020 और सा.का.नि. 839(अ), तारीख 22 नवंबर, 2022 द्वारा संशोधित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2023

G.S.R. 55(E).—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the National Savings (Monthly Income Account) Scheme, 2019, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) This Scheme may be called the National Savings (Monthly Income Account) (Amendment) Scheme, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2023.

2. In the National Savings (Monthly Income Account) Scheme, 2019, in paragraph 5,-

(a) in sub-paragraph (1B), for the words and figures, "on or after the 1st day of October, 2022", the words, figures and brackets "between 1st October, 2022 and 31st December, 2022 (both days inclusive)" shall be substituted;

(b) after sub-paragraph (1B), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(1C) The deposit made under this Scheme on or after the 1st day of January, 2023 shall bear interest at the rate of 7.1 per cent. per annum.".

[F. No. 1/04/2016-NS]

ASHISH VACHHANI, Addl. Secy.

Explanatory Memorandum. – The National Savings (Monthly Income Account) (Amendment) Scheme, 2023 takes effect from the date as specified in the notification. However, no one shall be adversely affected as a result of retrospective effect being given to this amendment Scheme.

Note : The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G. S. R. 917(E), dated the 12th December, 2019 and subsequently amended vide number G.S.R. 286(E) dated the 5th May, 2022 and G.S.R. 839(E) dated the 22nd November, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 56(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वरिष्ठ नागरिक बचत (संशोधन) योजना, 2023 है।

(2) यह 1 जनवरी, 2023 से प्रवृत्त समझी जाएगी ।

2. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2019 के पैरा 5 में,-

(क) उप पैरा (1ख) में "1 अक्टूबर, 2022 को अथवा उसके पश्चात्" शब्दों और अंकों के स्थान पर "1 अक्टूबर, 2022 और 31 दिसंबर, 2022 के बीच (जिसमें ये दोनों तारीखें भी शामिल हैं)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) उप पैरा (1ख) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1ग) 1 जनवरी, 2023 को या उसके पश्चात् इस योजना के अधीन की गई जमा पर प्रति वर्ष 8.0 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा ।"।

[फा. सं. 1/04/2016-एनएस]

आशीष वच्छानी, अपर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन — वरिष्ठ नागरिक बचत (संशोधन) योजना, 2023 अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगी तथापि, किसी भी व्यक्ति पर इस संशोधित योजना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने के परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा ।

टिप्पण – मूल योजना संख्यांक सा.का.नि. 916(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् संख्यांक सा.का.नि. 287(अ), तारीख 5 मई, 2020 और सा.का.नि. 842(अ), तारीख 22 नवंबर, 2022 द्वारा संशोधित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2023

G.S.R. 56(E).— In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Senior Citizens' Savings Scheme, 2019, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) This Scheme may be called the Senior Citizens' Savings (Amendment) Scheme, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2023.

2. In the Senior Citizens' Savings Scheme, 2019, in paragraph 5,-

(a) in sub-paragraph (1B), for the words and figures, "on or after the 1st day of October, 2022", the words, figures and brackets "between 1st October, 2022 and 31st December, 2022 (both days inclusive)" shall be substituted;

(b) after sub-paragraph (1B), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(1C) The deposit made under this Scheme on or after the 1st day of January, 2023 shall bear interest at the rate of 8.0 per cent. per annum.".

[F. No. 1/04/2016-NS]

ASHISH VACHHANI, Addl. Secy.

Explanatory Memorandum.- The Senior Citizens' Savings (Amendment) Scheme, 2023 takes effect from the date as specified in the notification. However, no one shall be adversely affected as a result of retrospective effect being given to this amendment Scheme.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G. S. R. 916(E), dated the 12th December, 2019 and subsequently amended vide number G.S.R. 287 (E), dated the 5th May, 2020 and G.S.R. 842(E), dated the 22nd November, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA